न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 45/2017 राजस्व वाद

1. भंवरसिंह पिता प्रतापसिंह जाति खरवड राजपूत आयु 62 वर्ष पैशा काश्त निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
2. उदयसिंह पिता प्रतापसिंह जाति खरवड राजपूत आयु 60 वर्ष पैशा काश्त निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।

—वादीगण

बनाम

1. श्री जलाल पिता हीरा जी जाति रेबारी आयु 75 वर्ष निवासी सांयो का खेडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. हीरसिंह पिता स्व. गुलाबसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
3. डूंगरसिंह पिता स्व. गुलाबसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
4. रामसिंह पिता स्व. गुलाबसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
5. केसरसिंह पिता स्व. खीमसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
6. मोहनसिंह पिता स्व. खीमसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
7. श्री उपपंजीयन अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय, नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब नाथद्वारा।

—प्रतिवादीगण

वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : 1. श्री सुरेश खटीक, अधिवक्ता वादीगण

: : निर्णय : :

दिनांक :—08.04.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से यह वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीगण के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे की क्रयशुदा कृषि भूमिया मौजा गांव सायो का खेडा तहसील नाथद्वारा मे स्थित है जिसका विवरण निम्न है— राजस्व ग्राम सायो का खेडा तहसील नाथद्वारा मे खाता सं. 162 आराजी नं. 1387, 1388, 1389, 1390 कुल किता 04 कुल रकबा 7—02

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

बीघा की कृषि भूमियो के खातेदार वर्तमान मे जलाल पिता हीरा रेवारी के नाम राजस्व रेकर्ड मे अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 से 4 के परिवार का सजरा निम्न है।

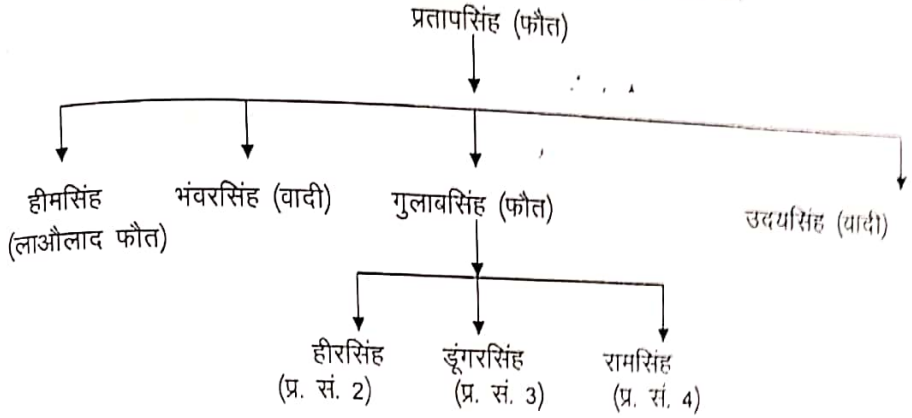

उपरोक्त पारिवारिक सजरे के अनुसार वाद मे वर्णित कृषि भूमियो मे से क्रेता हीमसिंह लाऔलाद फौत होने से उसका हिस्सा भाई होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 मे वेस्ट होने से एव प्रतिवादी सं. 5 व 6 क्रेता खीमसिंह के वारिसान होने से खीमसिंह का हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 व 6 मे वेस्ट होने से वादीगण अपने हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 2 से 6 भी अपने नाम घोषणा कराने के अधिकारी है। वाद मे वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 10.06.1977 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से केसुलाल भुरालाल तुलसीराम नारायणलाल पिता देवा जी जाति गुर्जर निवासी सांयो का खेडा तहसील नाथद्वारा को 2500/– अक्षरे दो हजार पाच सौ रूपये मे बेचान कर दी थी। तत्पश्चात उक्त कृषि भूमियो को विक्रय पत्र के आधार पर केसुलाल भुरालाल तुलसीराम नारायणलाल पिता देवा जी जाति गुर्जर निवासी सायो का खेडा तहसील नाथद्वारा ने संयुक्त रूप से मिलकर दिनांक 15.09.1980 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार से हीमसिंह, भंवरसिंह, गुलाबसिंह, उदयसिंह पिता प्रतापसिंह जाति खरवड राजपूत निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ को 1/2 हिस्सा हिस्सा विक्रय किया तथा खीमसिंह पिता नंदाजी जाति परमार राजपूत निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ को 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 4000/– अक्षरे चार हजार रूपये में विक्रय कर दिया। तब से उक्त कृषि भूमि पर वादीगण एव प्रतिवादीगण सं. 2 से 6 तक का संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य होकर कब्जा काश्त कर रहे है। पारिवारिक सजरे के अनुसार हीमसिंह लाऔलाद फौत होने से हीमसिंह का हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 से 4 मे वेस्ट होने से वादीगण अपना हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 से 6 भी क्रेता गुलाबसिंह एवं खीमसिंह के वारिस होने से उक्त कृषि भूमियो को अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड मे घोषणा कराने के अधिकारी है। तथा राजस्व रेकर्ड मे भी इंद्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। वाद मे वर्णित आराजीयात वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य एवं क्रयशुदा होने से काबिज है। विक्रय पत्र निष्पादित होने के पश्चात वादीगण ने राजस्व रेकर्ड मे विक्रय पत्र के आधार इंद्राज दुरूस्त नही करवाया। इस कारण से उक्त कृषि भूमियां प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रेकर्ड पर अंकित हे। वादीगण वाद मे वर्णित कृषि भूमियो को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं कब्जे के आधार पर उक्त कृषि भूमियो को अपने नाम पर घोषणा करवाने के अधिकारी है। इसी के साथ वादीगण राजस्व रेकर्ड मे भी इंद्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। वाद मे वर्णित कृषि भूमियो पर वादीगण एवं प्र. सं. 2 से 6 का संयुक्त रूप से काबिज होकर एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

दिनांक 15.09.1980 से वादीगण का स्वामित्व एवं आधिपत्य होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्र. सं. 1 वादीगण की क्रयशुदा कृषि भूमि मे जोर जबरदस्ती से कानून को हाथ मे लेकर बिना किसी विधिक अधिकार के तहत वादीगण की कृषि भूमि मे अतिक्रमण कर कब्जा करने पर उतारू है तथा वादीगणो के उपयोग उपभोग मे बाधा अवरोध हस्तक्षेप करने पर उतारू है अतः प्र सं. 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। राजस्व रेकर्ड मे प्र. सं. 1 का नाम अंकित होने से प्र. सं. 1 उक्त आराजीयात को विक्रय हस्तान्तरण करने की धमकी दे रहा है इस कारण वादीगण प्र. सं. 1 के विरूद्ध विक्रय हस्तान्तरण संबधित स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। वादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम घोषणा करवाने के अधिकारी है। इसी प्रकार राजस्व रेकार्ड मे इंद्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 7 उप पंजीयन अधिकारी के विरूद्ध भी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि वाद मे वर्णित आराजीयात के संबंध मे प्र. सं. 1 किसी प्रकार का विक्रय हस्तान्तरण दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसका पंजीयन नही करे न किसी अन्य अधिकारी से करावे वादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्र. सं. 7 के विरूद्ध भी जारी करवाने के अधिकारी है। प्र. सं 7 सरकार के प्रतिनिधि होने से धारा 80(2) जा.दी. का दो माह का नोटिस देना अनिवार्य होता है, किन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से दो माह का नोटिस देने पर दावे का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। वाद आपकी अनुमति से पेश है। धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। वाद कारण दिनांक 10.03.2017 को उत्पन्न हुआ जब प्र. सं. 1 के वाद पत्र की नकल वादीगणो को प्राप्त हुई। जिसमे वादीगणो का नाम राजस्व रेकर्ड मे अंकन नही था। वादीगण ने अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन कराने को कहा तो प्र. सं. 1 ने मना कर दिया और लडाई–झगडा प्रारम्भ कर दिया। और कहा कि मे किसी अन्य व्यक्ति को उक्त कृषि भूमिया विक्रय हस्तान्तरण कर दूगा।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वाद की कलम सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमियां वादीगण की क्रयशुदा होने से वादीगण के नाम पर घोषित फरमाई जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे इंद्राज दुरूस्त करवाये जाने का आदेश बक्शे। वादीगण के पक्ष मे एवं प्र. सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वाद मे वर्णित कृषि भूमियो को प्र. सं. 1 किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय हस्तान्तरण नही करे तथा वादीगणो के उपयोग उपभोग मे हस्तक्षेप, बाधा, अवरोध रुकावट एव प्रवेश नही करे न किसी अन्य से करावे। प्रतिवादी सं. 7 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वाद मे वर्णित कृषि भूमियो से संबधित प्र. स 1 विक्रय हस्तान्तरण दस्तावेज प्रस्तुत करे तो उस दस्तावेज का पंजीयन न करे। दौराने वाद प्र. स 1 एव 7 ऐसा कर देवे तो उसे आदेशात्मक आज्ञा से मौके की स्थिति पुनः यथावत कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स 1 से 6 बावजूद सूचना उपस्थित नही। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता वादी उपस्थित प्रतिवादी सं. 7 एवं 8 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। शहादतवादी में गवाह श्री भंवरसिंह (PW-1) उदयसिंह (PW-2) के शपथ पत्र प्रस्तुत किये अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवेचन निम्न प्रकार किया जाता है :–

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बांसवाड़ा जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम सांयो का खेडा तहसील नाथद्वारा जमावन्दी संवत् 2072–75 की खाता सं. 162 आराजी नं. 1387, 1388, 1389, 1390 कुल किता 04 कुल रकबा 7–02 बीघा की कृषि भूमियो (Ex- P-1) मे वर्तमान मे जलाल पिता हीरा रेबारी खातेदार होना प्रकट होता है।

इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध शपथ पत्र (PW-1) मे श्री भंवरसिंह ने कथन किया कि वाद मे वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 10.06.1977 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से केसुलाल भुरालाल तुलसीराम नारायणलाल पिता देवा जी जाति गुर्जर निवासी सांयो का खेडा तहसील नाथद्वारा को 2500/– अक्षरे दो हजार पांच सौ रूपये मे बेचान कर दी थी। तत्पश्चात उक्त कृषि भूमियो को विक्रय पत्र के आधार पर केसुलाल भुरालाल तुलसीराम नारायणलाल पिता देवा जी जाति गुर्जर निवासी सांयो का खेडा तहसील नाथद्वारा ने संयुक्त रूप से मिलकर दिनांक 15.09.1980 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार से हीमसिंह, भंवरसिंह, गुलाबसिंह, उदयसिंह पिता प्रतापसिंह जाति खरवड राजपूत निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ को 1/2 हिस्सा हिस्सा विक्रय किया तथा खीमसिंह पिता नंदाजी जाति परमार राजपूत निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ को 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 4000/– अक्षरे चार हजार रूपये में विक्रय कर दिया। तब से उक्त कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 6 तक का संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य होकर कब्जा काश्त कर रहे है। इसी प्रकार राजस्व रेकार्ड मे वाद घोषणा इत्यादि दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। वाद पत्र के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.06.1977 (Ex- P-2) का असल एवं उसकी छायाप्रति (Ex- P-2A) विक्रय पत्र दिनांक 15.09.1980 (Ex- P-3) का असल एवं उसकी छायाप्रति (Ex- P-3A) प्रस्तुत है। शपथ पत्र (PW-2) मे श्री उदयसिंह ने भी वाद मे वर्णित तथ्यो को दोहराया।

पंजीकृत विक्रय पत्रो की असल प्रतियो का (Ex- P-2) (Ex- P-3) एवं छायाप्रतियो (Ex- P-2A) (Ex- P-3A) का अवलोकन करने पर वाद मे वर्णित कृषि भूमियो को प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 10.06.1977 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से केसुलाल भुरालाल तुलसीराम नारायणलाल पिता देवा जी जाति गुर्जर निवासी सांयो का खेडा तहसील नाथद्वारा को मौजा सांयो का खेडा मे स्थित आराजी सं. 1387, 1388, 1389, 1390 कुल किता 04 कुल रकबा 7–02 बीघा 2500/– अक्षरे दो हजार पांच सौ रूपये मे बेचान करना एवं तत्पश्चात उक्त कृषि भूमियो को विक्रय पत्र के आधार पर केसुलाल भुरालाल तुलसीराम नारायणलाल पिता देवा जी जाति गुर्जर निवासी सांयो का खेडा तहसील नाथद्वारा ने संयुक्त रूप से मिलकर दिनांक 15.09.1980 को उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार से हीमसिंह, भंवरसिंह, गुलाबसिंह, उदयसिंह पिता प्रतापसिंह जाति खरवड राजपूत निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ को 1/2 हिस्सा विक्रय किया तथा खीमसिंह पिता नंदाजी जाति परमार राजपूत निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ को 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 4000/– अक्षरे चार हजार रूपये में विक्रय होना प्रकट होता है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी साबित होते है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है :–

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सांयो का खेड़ा तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2072–75 खाता सं. 162 आराजी नं. 1387, 1388, 1389, 1390 कुल किता 04 कुल रकबा 7–02 बीघा की कृषि भूमियो मे जलाल पिता हीरा जी जाति रबारी के बजाय भवरसिंह उदयसिंह पिता स्व. प्रतापसिंह हीरसिंह डूंगरसिंह रामसिंह पिता स्व. गुलाबसिंह को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकरी)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner